उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 1082/2021 दिनांक/Date : 14/10/2021

संवाद–168

विषयः– **वि0 सं0–36/2021, पदनाम–वन आरक्षी, पद कोड–721/679/36/2021 में आरक्षित श्रेणी का विकल्प दिये जाने व आवेदन पत्र की तिथि विस्तारित किये जाने संबंध में।**

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वि0 सं0–36/UKSSSC/2021 दिनांक 19.08.2021 द्वारा वन विभाग के अंतर्गत पदनाम–वन आरक्षी, पद कोड–721/679/36/2021 के 894 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

उक्त विज्ञापन में प्रकाशित कुल 894 पदों के आरक्षण की स्थिति में नियोक्ता विभाग से संशोधित प्रस्ताव के कारण परितर्वन किया गया है। इस संबंध में आयोग द्वारा विज्ञप्ति/शुद्वि पत्र, पत्रांक–971/अधियाचन/2021 दिनांक 29 सितम्बर, 2021 जारी कर आरक्षण की स्थिति को संशोधित किया गया।

अभ्यर्थियों को आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत आयोग द्वारा पत्रांक–1000(संवाद–163)/2021 दिनांक 04.10.2021 जारी किया गया उसी के अनुरूप वर्तमान उक्त विज्ञापन में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने व पूर्व आवेदन में EWS श्रेणी चयन का विकल्प दिये जाने हेतु आवेदन पत्र की तिथि विस्तारित की जा रही है। अभ्यर्थी **दिनांक 16.10.2021 से दिनांक 25.10.2021 के मध्य** इस अवसर का लाभ लें सकते है।

10 दिन की इस अवधि में अभ्यर्थियों को निम्न अवसर दिया जा रहा है :–

1. जो अभ्यर्थी उपरोक्त विज्ञापन दिनांक 19.08.2021 की अंतिम तिथि तक किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाये थे, वे इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सशुल्क होगा क्योंकि यह आवेदन पूर्व तिथि का है व अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भी शुल्क दिया गया है।
2. विज्ञापन दिनांक 19.08.2021 में EWS श्रेणी के लिए पद उपलब्ध नहीं थे ऐसे में EWS श्रेणी के अभ्यर्थी EWS श्रेणी का चयन नहीं कर सके थे। अब EWS श्रेणी के पद उपलब्ध हैं अतः ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी समान्य श्रेणी से EWS श्रेणी का विकल्प निःशुल्क चयन कर सकते हैं।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का पहले भरा गया आवेदन पत्र काफी त्रुटिपूर्ण हो गया है एवं वे उसे निरस्त कर नया आवेदन करना चाहते हैं तो वे भी सशुल्क नया आवेदन पत्र भर सकते हैं।

आयोग द्वारा इस आवेदन में संशोधन का अवसर यथासमय अलग से दिया जायेगा।

आयोग की ओर से,

(संतोष बडोनी)
सचिव।